

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(23)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 24 MAY 2022

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2022 के द्वारा प्लास्टिक एण्ड रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार प्लास्टिक एण्ड रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० जी.एस. कालरा	सामान्य	14.03.1958	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ० प्रदीप गोविल	अजा	01.08.1958	2014-15	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2014
3.	डॉ० मधु माहेश्वरी	सामान्य	03.10.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० राकेश कुमार जैन	सामान्य	30.09.1965	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
5.	डॉ० सुनील श्रीवास्तव	सामान्य	22.02.1963	2018-19	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2018
6.	डॉ० राजकुमार पालीवाल	सामान्य	14.09.1958	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019
7.	डॉ० प्रदीप कुमार गुप्ता	सामान्य	30.09.1960	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019

सह-आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० संगीता टुकरानी	सामान्य	04.06.1980	2019-20	01.04.2019
2.	डॉ० अमित कुमार शर्मा	सामान्य	07.03.1984	2021-22	01.04.2021
3.	डॉ० निर्मल कुमार गुप्ता	सामान्य	05.01.1976	2021-22	01.04.2021

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० जगदीप सिंह	सामान्य	26.07.1974	24.09.2012 (डेफर प्रकरण)
2.	डॉ० नेपो पद्मनाभन विद्यार्थी	सामान्य	12.05.1973	15.10.2012 (डेफर प्रकरण)
3.	डॉ० मनोजित मिदया	सामान्य	15.06.1982	31.03.2021 (प्लास्टिक एण्ड रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी में विस्थापन तिथि)

आज्ञा से
(इकबाल खान)
शासन सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

23/5/22
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव